झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड

नामकुम, राँची।

फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : लो0स्वा0सं0नि0 / 2017–18 / 82(Part-B)–179(MD) राँची, दिनांक : 13.2.2020

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत कार्यरत तृतीय सत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों हेतु निर्गत पदस्थापन आदेश संख्या–164(MD) दिनांक 07.02.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण निम्नरूपेण स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :–

Sl. No.	Name of CHO	POSTING VIA ORDER NO. -164 (MD), Dated-07.02.2020			REVISED PLACE OF POSTING			
		HWC Centre	Block Name	District	HWC Centre	HWC Code (NIN)	Block Name	District
1	SUNITA LAKRA	HSC HALMADH	SILLI	RANCHI	HSC BARSA	7387272540	RATU	RANCHI
2	SUNITA LAKRA	HSC PARWA	JALDEGA	SIMDEGA	HSC DHARAMPURA	1226731139	CHAS	BOKARO
3	JYOTI KUMARI	HSC KHOKHRO	ICHAGARH	SARIKELA-KHARSWANA	HSC RUHIDIH	8461822473	GOLMURI-CUM-JUGSALAI	PURBI SINGHBHUM

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत तृतीय सत्र हेतु चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) जो IGNOU द्वारा संचालित परीक्षा में असफल हुए थे तथा पुनः दूसरी बार परीक्षा में सम्मिलित होकर सफल घोषित हुए हैं, उनसे पदस्थापन हेतु प्राप्त इच्छा–अभिव्यक्ति के आलोक में उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से चिन्हित Health & Wellness Centre में निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :–

Sl. No.	Name of CHO	REVISED PLACE OF DEPUTATION			
		HWC Centre	HWC Code (NIN)	Block Name	District
1	RUPA KUMARI	HSC KHAPRIYAWA	1484441678	KATKAMSANDI	HAZARIBAGH
2	DOLLY KUMARI	HSC KERUKOCHA	8281735681	CHAKULIA	PURBI SINGHBHUM
3	SHILWANTI PURTI	HSC BHALUAPANI	8883561816	BANDGAON	PASHCHIMI SINGHBHUM

उपरोक्त पदस्थापन निम्नांकित शर्त आधारित किया जाता है :–

1. सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित प्रशिक्षणार्थियों का मानदेय 25,000 / – (पच्चीस हजार रूपये) मूल मानदेय + अतिरिक्त 15,000 / – (पन्द्रह हजार रूपये) कार्य प्रदर्शन आधारित होगा।
2. पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी का मानदेय भुगतान पदस्थ स्थल से होगा।
3. पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी चिन्हित Health & Wellness Centre के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।
4. उक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से अनुबंध आधारित होगी तथा उसका किसी तरह का नियमितिकरण संबंधित दावा भविष्य में अनुमान्य नहीं होगा।
5. सभी पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत नियमानुसार अवकाश एवं अन्य देय सुविधा अनुमान्य होगा।

-764-

6. सभी पदस्थापित कर्मी अपने निर्धारित कार्य दायित्व (ToR) के अनुरूप कार्य करेंगे एवं आवश्यकता धारित नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा दिये गये अन्य दायित्व का भी निर्वहन करेंगे।
7. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित होगी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा अनुबंध एकरारनामा अभ्यर्थियों के साथ कार्यान्वित किया जायेगा।
8. सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा सरकारी कार्य में किसी प्रकार की बाधा डालने पर अनुबंध समाप्त कर दी जायेगी और इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
9. फौजदारी मुकदमा में दण्डित होने पर अथवा चयनित सफल अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित सूचना अथवा प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उनका संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगा एवं भुगतेय किये गये मानदेय नियमानुसार वसुलनीय होगा।
10. किसी प्रकार का पदस्थापित भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
11. संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) आदेश निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने पदस्थापित स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
12. किसी प्रकार की लिपिकीय/टंकीय त्रुटी होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर सुधार किया जायेगा।

13/2/20

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक : 179(MD) दिनांक : 13.02.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, ब्रीज कोर्स प्रोग्राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं अनुरोध है कि सभी संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को अपने पुराने स्थल से विरमित करने की कृपा करेंगे तथा निदेशित किया जाता है कि नवपदस्थापित स्थल में योगदान के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को योगदान प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुरोध है कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति निर्धारित Health & Wellness Centre के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं किया जायेगा, यदि प्रतिनियुक्ति अन्यत्र किया जाना आवश्यक हो तो उक्त का अनुमोदन राज्य मुख्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्ति किया जा सकेगा।
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, Health & Wellness Centre को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है कि पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का योगदान के उपरान्त HWC Portal पर Update करना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला डेटा प्रबंधक/प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक/प्रखण्ड लेखा प्रबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13/2/20

(अभियान निदेशक)